ईमेल

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/19/विविध/पार्ट-3/810 भोपाल, दिनांक 22/9/2022

प्रति,

01. संयुक्त संचालक,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय--------------(समस्त)

02. कार्यपालन यंत्री,
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
तकनीकी संभाग--------------(समस्त)

03. सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति, -----------------(समस्त)
जिला -----------------(समस्त)

विषय- दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गए प्रमुख दिशा-निर्देशों के पालनार्थ।

संदर्भ- अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक 131/2022/13(AGR)(35971) दिनांक 20/01/2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत् संदर्भित पत्र द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त HCM Review जिसमें दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, विभागीय समीक्षा बैठक के प्रमुख निर्देश क्रमांक-7 के अंतर्गत-

"प्रदेश में वर्तमान में स्थापित मंडियों की अधोसंरचना कें बेहतर उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के साथ लाभदायक व उपयोगी रूप में संचालित किये जाने हेतू कार्यवाही की जावे।"

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/प्रांगण-सम्पदा/46/19/विविध/पार्ट-3/811 भोपाल, दिनांक 22/9/2022

<u>प्रतिलिपि-</u> सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01- निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।

02- अपर संचालक(वित्त)/अपर संचालक(नियमन)/अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा) मंडी बोर्ड/सम्पदा) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन सुनिश्चित करे।

03- अधीक्षण यंत्री, मंडी बोर्ड मुख्यालय, भोपाल।

अपर संचालक(प्रांगण/सम्पदा)
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

क्रमांक 131/2022/14(AGR)(35971)

प्रति, 20/01/2022

1. संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास/
कृषि अभियांत्रिकी/सीयेट, संचालनालय, म0प्र0 भोपाल
2. प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड/राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था/
म0प्र0 बीज एवं फार्म विकास निगम/जैविक प्रमाणीकरण भोपाल
3. कुलसचिव,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि., ग्वालियर म0प्र0
जवाहर लाल नेहरू कृषि विवि. जबलपुर म0प्र0

विषय- दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में मान. मुख यमंत्री जी व्दारा दिये गए प्रमुख दिशा निर्देशो के पालनार्थ।
संदर्भ- मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त HCM Review दिनांक 19 जनवरी 2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्राप्त मेल व्दारा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त HCM Review जिसमें दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में मान. मुख यमंत्री जी व्दारा दिशा निर्देश दिये गए हैं जिसकी प्रति आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ संलग्न प्रेषित है।

उक्त निर्देशों के संबंध में पालन प्रतिवेदन विभाग को शीघ्र भेजने का कष्ट करें एवं निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा आगामी सप्ताह में इस संबंध में विस्तृत बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है अतएव जारी दिशा निर्देशों के संबंध में अपने स्तर से समीक्षा कर तैयारी करने का अनुरोध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार ।

Digitally signed by PRAKASH KUMAR MAKHIJA
Date:Thu Jan 20 15:34:30 IST 2022
Reason:Approved

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

D(ms) 608
20/1/22

प्रा.शा. / नवीन फाईल

20/1/22
(P)

56

73

22824/2022/14(O/o PS)

From : Ajit Kesari (psagriculture@mp.gov.in)
To : ramesh.jaisinghani@mp.gov.in
Cc :
Subject : Fwd: HCM Review
Date : Jan 19 2022 12:56 PM

Agri HCM Meeting ---- Forwarded Message ---- From: "ajitkesari psgovtmp" To: "Ajit Kesari", "PS Cooperation" Sent: Tuesday, January 18, 2022 6:19:29 PM Subject: HCM Review

मध्यप्रदेश शासन

दिनांक 03 जनवरी से 11 जनवरी, 2022 तक आयोजित विभागीय समीक्षा बैठकों में माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिये गए प्रमुख दिशा-निर्देशों का संकलन

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

विभागीय समीक्षा बैठक – प्रमुख निर्देश

----

1. कृषि के विविधीकरण पर प्रस्तुतिकरण तैयार कर मुख्यमंत्री जी के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।
2. चिन्नौर चावल एवं शरबती गेंहू की ब्रांडिंग एवं विपणन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए।
3. मध्यप्रदेश से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए।
4. मध्यप्रदेश में जीरो बजट की प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती पर तेजी से काम किया जाए।
5. कृषि विभाग किसान उत्पादक संगठनों के विषय में नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश में बड़े पैमाने पर एफ.पी.ओ. को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित नीति का प्रारूप शीघ्र प्रस्तुत करें।
6. मिलेट मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे। इस मिशन के अंतर्गत मिलेट वर्ष में की जाने वाली गतिविधियों की योजना बनाकर मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाए।
7. प्रदेश में नई मण्डियाँ/ उपमण्डियाँ नहीं खोली जानी चाहिए। इसके स्थान पर हानि में चल रही मण्डियों की अधोसंरचना के बेहतर उपयोग एवं प्रभावी प्रबंधन के साथ उन्हें लाभ में संचालित संस्थान के रूप में परिवर्तित करें।
8. कृषि विभाग के अंतर्गत बड़ी विकास परियोजनाओं एवं पहलों के फास्ट ट्रैक क्रियान्वयन के लिए पार्टनर एजेन्सियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाए।